सं0 800-02/2007-एएस-II/16

भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
(अभिगम सेवा प्रभाग)
20 अशोक रोड, संचार भवन, नई दिल्ली-110001

6 जून, 2007

सेवा में,

सभी एकीकृत अभिगम सेवा/सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारक,
बीएसएनएल/एमटीएनएल

विषय : अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा टेलीमार्केटरों के अनंतिम पंजीकरण संबंधी प्रक्रिया

टेलीमार्केटरों के लिए दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं और **अनुबंध-I** पर संलग्न हैं। अभिगम सेवा प्रदाताओं द्वारा टेलीमार्केटरों का अनंतिम पंजीकरण किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत अनुदेश **अनुबंध-II** पर संलग्न हैं। टेलीमार्केटरों के पंजीकरण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया **अनुबंध-III** पर संलग्न है। टेलीमार्केटरों के पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र (टीएम-1) **अनुबंध-IV** पर संलग्न है। टेलीमार्केटरों के पंजीकरण संबंधी ब्योरा दूरसंचार विभाग की वेबसाइट 'www.dot.gov.in' पर भी उपलब्ध है।

2. तदनुसार, सभी सेवा प्रदाताओं को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है।

(ए0के0 धर)
सहायक महानिदेशक (वीएएस-I)
टेलीफोन - 011-23372069

प्रति :-

उप महानिदेशक(डीएस), दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर सूचना डालने हेतु

प्रेस नोट

6 जून, 2007

टेलीमार्केटर का पंजीकरण

सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि वह ऐसे नीति निर्णयों की घोषणा करे जिससे राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 के अनुसार लोगों को बेहतर दूरसंचार सुविधाएं मुहैया कराई जा सकें।

उपर्युक्त नीति के अनुरूप, सरकार ने आज टेलीमार्केटरों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की है जिससे अवांछित वाणिज्यिक संचार को घटाने हेतु एक व्यवस्था निर्धारित कर अवांछित वाणिज्यिक कॉलों को प्रतिबंधित करने में मदद मिलेगी। दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु निम्नानुसार है :-

1. अभिगम सेवा प्रदाता टेलीमार्केटर से प्रति टेलीमार्केटिंग केंद्र 1000/- रु0 के पंजीकरण प्रक्रिया शुल्क सहित, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन स्वीकार करेगा।
2. आवेदनों की प्राप्ति पर उनकी पावती भेजी जाएगी। पावती को टेलीमार्केटर (जब तक सेवा प्रदाता/दूरसंचार विभाग/ट्राई द्वारा अन्यथा अनुदेश न हो) द्वारा सेवा उपलब्ध कराने के लिए अनंतिम वैध पंजीकरण समझा जाएगा। यह अनंतिम पंजीकरण तीन महीने के लिए वैध रहेगा।
3. इसके पश्चात दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीमार्केटर को एक पंजीकरण जारी किया जाएगा जो 10 वर्ष के लिए वैध रहेगा।
4. बिना पंजीकरण के अभी भी टेलीमार्केटिंग सेवा उपलब्ध कराने वाले किसी भी व्यक्ति को टेलीमार्केटर के लिए विहित तरीके से, अपने आपको 31 अगस्त, 2007 तक पंजीकृत करवा लेना चाहिए।
5. 31 अगस्त, 2007 के पश्चात सेवा प्रदाता बिना पंजीकरण के टेलीमार्केटिंग सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को दूरंसचार संसाधनों को उपलब्ध नहीं कराएंगे/रोक देंगें।
6. नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री गठित करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को प्राधिकृत किया गया है।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री के माध्यम से उपभोक्ताओं की सूची को टेलीमार्केटिंग उद्देश्य से अवरूद्ध करने सहित अवांछित वाणिज्यिक कम्यूनिकेशन के संबंध में दूरसंचार विभाग/ट्राई द्वारा जारी आदेशो/निदेशों/विनियमों का टेलीमार्केटर ईमानदारी पूर्वक पालन करेंगे।
8. "टेलीमार्केटर " के पंजीकरण के लिए विस्तृत दिशानिर्देश दूरसंचार विभाग की वेबसाइट www.dot.gov.in पर भी उपलब्ध है।

सं0 18-7/2007-ओएसपी
भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2007

प्रेस नोट

विषय : "अन्य सेवा प्रदाता" (ओएसपी) श्रेणी के अंतर्गत कालसेंटरों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) तथा "टेलीमार्केटर" श्रेणी के अंतर्गत टेलीमार्केटरों के पंजीकरण को दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) से वीटीएम प्रकोष्ठों की फील्ड यूनिटों को विकेंद्रीकरण करना।

सरकार उन नीतिपरक निर्णयों की घोषणा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रही है जो राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1999 के अनुसार जनसाधारण को बेहतर दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने में सहायक हैं।

2. अब सरकार ने "अन्य सेवा प्रदाता" (ओएसपी) श्रेणी के अंतर्गत कालसेंटरों (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय) और "टेलीमार्केटर" श्रेणी के अंतर्गत टेलीमार्केटरों के पंजीकरण को पहले चरण में 01.09.2007 से दूरसंचार विभाग (मुख्यालय) से निम्नलिखित 10 सर्किलों के संबंधित सतर्कता दूरसंचार निगरानी (वीटीएम) प्रकोष्ठों को विकेंद्रीकरण करने का निर्णय लिया हैं।

क्र0 सं0	सर्किल का नाम	वीटीएम के कायालय का पता	वीटीएम का कार्यक्षेत्र
1.	तमिलनाडु	5वां तल, एलआईसी भवन, सं0 1544, त्रिचि रोड, कोयंबटूर-641018	तमिलनाडु दूरसंचार सर्किल।
2.	कर्नाटक	दूसरा तल, अमिनिटी ब्लाक, पैलेस रोड, बेंगलुरू-560001	बेंगलुरू टेलीफोन जिला को छोड़कर कर्नाटक दूरसंचार सर्किल।
3.	आंध्र प्रदेश	डी-11, टेलीकॉम आफिसर्स कॉम्पलेक्स टिक्केल रोड, मोगलराजपुरम, विजयवाड़ा-520010, आंध्र प्रदेश	हैदराबाद टेलीफोन जिला को छोड़कर आंध्र प्रदेश दूरसंचार सर्किल।
4.	महाराष्ट्र	पहली मंजिल, खामला टेलीफोन ऐक्सचेंज, खामला, नागपुर-440025	पुणे टेलीफोन जिला को छोड़कर महाराष्ट्र दूरसंचार सर्किल।
5.	दिल्ली	5वीं/6टी मंजिल एमटीएनएल टेलीफोन ऐक्सचेंज भवन नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव सहित दिल्ली।
6.	हरियाणा	तीसरी मंजिल, कमरा सं0 314 टेलीफोन ऐक्सचेंज भवन, माल रोड, अम्बाला कैंट, अम्बाला	हरियाणा दूरसंचार जिला।

7.	गुजरात	पहली मंजिल, पी एंड टी, प्रशासनिक भवन, खानपुर, अहमदाबाद-380001	अहमदाबाद दूरसंचार जिला को छोड़कर, गुजरात।
8.	कोलकाता	82, बुल्लीगंज प्लेस, दूसरा तल निकट कन्वरजेंस हाल, कोलकाता 700019	कोलकाता सेवा क्षेत्र।
9.	चेन्नै	तीसरा तल केलिस टेलीफोन ऐक्सचेंज 22, केलिस रोड, चेन्नै-10	चेन्नै महानगर जिला और पांडिचेरी दूरसंचार जिला।
10.	मुंबई	चौथा तल, वर्सोवा टेलीफोन ऐक्सचेंज भवन, एसवीपी रोड, म्हादा, एसवीपी नगर, अंधेरी(पश्चिम) मुंबई-400053	मुबई महानगर जिला।

3. तदनुसार, 01.09.2007 से उपर्युक्त 10 सर्किलों में कालसेंटरों के पंजीकरण के इच्छुक अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) प्रस्तावित काल सेंटर की अवस्थिति के अनुसार संबधित वीटीएम प्रमुख और शेष सर्किलों के संबंध में अवर सचिव (सीएस-I) दूरसंचार विभाग, संचार भवन के पास आवेदन करेंगे।

4. इसी प्रकार, 01.09.2007 से "टेलीमार्केटिंग " श्रेणी के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले टेलीमार्केटर, अनंतिम पंजीरण के लिए सेवा प्रदाताओं से आवेदन करेंगे, सेवा प्रदाता उपर्युक्त 10 सर्किलों के मामले में संबंधित वीटीएम प्रकोष्ठों को और शेष सर्किलों के संबध में निदेशक (सीएस-I) दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली को आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. ओएसपी श्रेणी और टेलीमार्केटिंग श्रेणी के तहत पंजीकरण के लिए नियम और शर्तें वही रहेंगी जो वेबसाइट www.dot.gov.in पर उपलब्ध हैं। वीटीएम प्रकोष्ठों के प्रमुखों की सूची भी उनके डाक पते/टेलीफोन/फैक्स सहित उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(राजबीर शर्मा)
निदेशक (सीएस-I)
टेलीफोन : 23036253

निदेशक (मीडिया और कम्युनिकेशन) प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार, नई दिल्ली- प्रेस नोट जारी करने और व्यापक प्रचार प्रदान करने के लिए प्रेषित।

अनुबंध-III

टेलीमार्केटर के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

1. आवेदक को आवेदन प्रपत्र (टीएम-1) के साथ टेलीविपणन के लिए अनंतिम पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अभिगम सेवा प्रदाता के पास जाना होगा।

2. सेवा प्रदाता द्वारा इस आवेदन की पावती प्रदान की जाएगी जिसे टेलीमार्केटर के लिए तीन महीने की अवधि के लिए अनंतिम पंजीरकण समझा जाएगा। यह अनंतिम पंजीकरण टेलीमार्केटर को इस अवधि के दौरान टेलीविपणन गतिविधियों के लिए प्राधिकृत करेगा, जब तक दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता द्वारा अन्यथा निदेशित/अनुदेशित न हो।

3. तत्पश्चात् टेलीमार्केटर को दूरसंचार विभाग द्वारा दस वर्ष के लिए मान्य, एक पंजीकरण जारी किया जाएगा।

4. टेलीमार्केटर काल सूची , जो कि एनआईसी के नेशनल डॅ नाट कॉल (एनडीएनसी) रजिस्ट्री द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियत प्रक्रिया के तहत छंटनी की हुई हो, प्राप्त करने का प्रबंध करेगा।

5. टेलीमार्केटर, एनडीएनसी/दूरवर्ती ग्राहक अवस्थितियों को डाटा कनेक्टीविटी के लिए संसाधनों के प्रबंध के लिए जिम्मेदार होगा।

सेवा प्रदाताओं से टेलीमार्केटरों से आवेदन पत्र प्राप्त करने और टेलीमार्केटरों को अंनतिम पंजीकरण प्रस्ताव पत्र जारी करने के लिए अनुदेश

1. सरकार द्वारा टेलीमार्केटरों के लिए घोषित किए गए दिशा निर्देश अनुबंध 0-1 में दिए गए हैं।

2. सेवा प्रदाता टेलीमार्केटरों से आवेदन पत्र केवल निर्धारित फार्म पर ही स्वीकार करेगा।

3. टेलीमार्केटरों के लिए आवेदन पत्र 1000/- रूपए प्रति टेलीमार्केटिंग केन्द्रो पंजीकरण प्रक्रिया शुल्क के साथ स्वीकार किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रक्रिया शुल्क का भुगतान वेतन एवं केवल अधिकारी (मुख्यालय) दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली को देय डिमाड ड्राफ्ट के रूप में करना होगा।

4. आवेदन प्राप्त होने पर इसकी पावती भेजी जाएगी। यह पावती टेलीमार्केटरों द्वारा सेवा प्रदान करने के लिए वैध अंनतिम पंजीकरण के रूप में माना जाएगा (जब तक कि सेवा प्रदाता/दूरसंचार विभाग/टी आर ए आई द्वारा अन्यथा अनुदेश न दिया गया हो)। यह अनंतिम पंजीकरण तीन महीने की अवधि के लिए वैध होगा।

5. पावती का क्रमानुसार संख्यांकन किया जाएगा।

6. आवेदन द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल आवेदन को ग्राहकों को टेलीफोन सेवा प्रदान करने से पहले सत्यापन के लिए यथा निर्धारित दस्तावेजों सहित सेवा प्रदाता द्वारा रखा जाएगा।

7. सेवा प्रदाता दाावेदक टेलीमार्केटर का सत्यापन इस संबंध में आवेदन पत्र में दिए गए फार्म पर दिए हुए प्रमाण पत्र के अनुसार अपने ग्राहक के समान करेगा और सत्यापन प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र की एक प्रति प्रक्रिया शुल्क के लिए डिमांड ड्राफ्ट को संलग्न करते हुए निदेशक, सी एस- I दूरसंचार विभाग को प्रेषित करेगा।

8. टेलीमार्केटरों के आवेदन दूरसंचार विभाग को मासिक आधार पर अगले माह के पहले सप्ताह में प्रेषित किए जाएंगे।

9. दूरसंचार विभाग में सेवा प्रदाता द्वारा अनुशंसा और सत्यापन सहित आवेदन प्राप्त होने पर दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीमार्केटर को एक पंजीकरण जारी किया जाएगा जो 10 वर्ष के लिए वैध होगा।

10 टेलीमार्केटर, एक बार पंजीकृत होने पर, किसी भी अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता से दूरसंचार संसाधन प्राप्त कर सकता है।

11. सेवा प्रदाता अनंतिम पंजीकरण को पहले तीन महीनों जब तक दूरसंचार विभाग द्वारा पंजीकरण जारी नहीं किया गया हो के दौरान निरस्त कर सकता है यदि आवेदक टेलीमार्केटर द्वारा दी गई सूचना गलत अथवा असंतोष जनक पाई गई हो।

12. ऐसा कोई व्यक्ति जो बिना पंजीकरण के टेलीमार्केटिंग सेवा प्रदान कर रहा है, को भी टेलीमार्केटर के लिए विहित तरीके से स्वयं को 31 अगस्त 2007 तक पंजीकृत करवा लेना चाहिए।

13. सेवा प्रदाता 31 अगस्त 2007 के पश्चात बिना पंजीकरण के टेलीमार्केटिंग सेवा प्रदान करने वाले व्यक्तियों को दूरसंचार संसाधन प्रदान नहीं करेंगे/प्रदान करना बंद कर देंगे।

14. सेवा प्रदाता टेलीमार्केटर पर इस तरह नजर रखेंगे कि संसाधनों का प्रयोग केवल लाइसेंस में परिमाणित दिशा निर्देशों के अनुसार "टेलीमार्केटिंग" के लिए ही किया जा रहा है।

अनुबंध-IV

फार्म : टीएम-1

टेलीमार्केटर के पंजीकरण हेतु आवेदन

(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है)

1. आवेदक का नाम/कंपनी		
कार्यालय का पता		
टेलीफोन :		
फैक्स :		
ई-मेल :		वेबसाइट :
2. सम्पर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम :		
2(क) पत्राचार का पूरा पता :		
टेलीफोन :		
फैक्स :		
ई-मेल :		
3. टेलीमार्केटर्स केन्द्र का स्थान/पता		
4. ग्राहक नाम और पता	(i)	
	(ii)	
	(iii)	
5. पीएसटीएन लाइनों की संख्या		
6. नॉन वॉयस कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी का ब्यौरा		

7. नॉन वॉयस प्रयोगों के संबंध में प्रस्तावित टेलीमार्केटिंग केंद्र से ग्राहक के दूरस्थ स्थान/एनडीएनसी स्थान तक लीज लाइन कनेक्टिविटी का ब्यौरा

	प्रस्तावित टेलीमार्केटिंग केंद्र का पता	ग्राहक/एनडीएमसी के दूरस्थ स्थान का पता	बैंडविड्थ	अभ्युक्ति

8 प्रोसेसिंग शुल्क का ब्योरा (सीसीएके कार्यालय के मुख्य लेखाधिकारी के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट)	1000/-रु0 प्रति कॉल सेंटर रजिस्ट्रेशन
संख्या और तारीख	
राशि	
उस बैंक का नाम जिस पर आहरित किया जाना है	
डिमाण्ड ड्राफ्ट के पीछे आवेदक के नाम और पते का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।	

उद्घोषणा :

1. मैं/हम एतद्द्वारा अधिप्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने टेलीमार्केटर के पंजीकरण संबंधी दिशानिर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है और मैं/हम उसमें उल्लिखित निबंधन एवं शर्त्तों का अनुपालन करने की शपथ लेता हूँ/लेते हैं (टेलीमार्केटरों के लिए दिशा-निर्देश डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डीओटी, जीओवी इन पर भी उपलब्ध हैं।

2. मैं/हम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के एनडीएनसी रजिस्ट्री के माध्यम से टेलीमार्केटिंग उद्देश्य हेतु कॉल किए जाने वाले उपभोक्ताओं की सूची के मार्जन सहित अवांछित वाणिज्यिक संचार के संबंध में दूरसंचार विभाग/ट्राई द्वारा जारी किए गए आदेशों/निदेशों/विनियमों का सावधानीपूर्वक अनुपालन करने की भी शपथ लेता हूँ/लेते हैं।

3. मुझे/हमें ज्ञात है कि 1000/- रु0 का प्रोसेसिंग शुल्क अप्रतिदेय है।

4. मुझे/हमें मालुम है कि यदि यह आवेदन किसी मामले में अपूर्ण पाया जाता है तथा/अथवा यदि सशर्त अनुपालन सहित पाया जाता है तो इसे पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. मुझे/हमें मालुम है कि यदि किसी समय पंजीकरण कराने के लिए निश्चय पूर्वक कही गई बात या दी गई सूचना गलत पाई जाती है और इसकी सूचना दूरसंचार विभाग/सेवा प्रदाता द्वारा दी जाती है तो मेरे आवेदन तथा ऐसे आवेदनों के आधार पर किया गया पंजीकरण रद्द माना जाएगा।

तारीख :
स्थान :

आवेदक/प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्त्ता का हस्ताक्षर और नाम

सत्यापन प्रमाण-पत्र

(सेवा प्रदाता द्वारा दिया जाने वाला)

आवेदक टेलीमार्केटर श्री ..../मैसर्स ....द्वारा दिए गए ब्यौरे को मैसर्स....................(सत्यापन प्रमाण-पत्र देने वाले सेवा प्रदाता का नाम) द्वारा सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है। उपर्युक्त टेलीमार्केटर को पंजीकृत करने की सिफारिश की जाती है। उपर्युक्त टेलीमार्केटर को हमारे यहां अनन्तिम पंजीकरण संख्या ....दिनांक ....के तहत अनन्तिम रूप से पंजीकृत कर लिया गया है। आवेदन की एक प्रति टीईआरएम प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग को टेलीमार्केटर के पंजीकरण के पक्ष में अग्रेषित की जाती है।.......................के पक्ष में ....पर आहरित दिनांक.................की डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 ....भी एतद्द्वारा संलग्न है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सेवा प्रदाताओं के नाम
मुहर

प्रति-I

पावती सं0.................. दिनांक..................

पावती

(सेवा प्रदाता द्वारा जारी किया जाने वाला)

आवेदक टेलीमार्केटर श्री/मैसर्स ....से टेलीमार्केटर के रूप में पंजीकरण हेतु....................के पक्ष में ....पर आहरित.............दिनांक.........................की डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 .... के साथ एक आवेदन पत्र प्राप्त किया। इस पावती को जारी किए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए अनन्तिम पंजीकरण के रूप में माना जाएगा। आपके आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा और पंजीकरण 1 महीने के भीतर जारी करने के लिए इसे दूरसंचार विभाग को अग्रेषित किया जाएगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सेवा प्रदाताओं के नाम
मुहर

सत्यापन प्रमाण-पत्र

(सेवा प्रदाता द्वारा दिया जाने वाला)

आवेदक टेलीमार्केटर श्री ..../मैसर्स ....द्वारा दिए गए ब्यौरे को मैसर्स....................(सत्यापन प्रमाण-पत्र देने वाले सेवा प्रदाता का नाम) द्वारा सत्यापित किया गया है और सही पाया गया है। उपर्युक्त टेलीमार्केटर को पंजीकृत करने की सिफारिश की जाती है। उपर्युक्त टेलीमार्केटर को हमारे यहां अनन्तिम पंजीकरण संख्या ....दिनांक ....के तहत अनन्तिम रूप से पंजीकृत कर लिया गया है। आवेदन की एक प्रति टीईआरएम प्रकोष्ठ, दूरसंचार विभाग को टेलीमार्केटर के पंजीकरण के पक्ष में अग्रेषित की जाती है।......................के पक्ष में ....पर आहरित दिनांक.................की डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 ....भी एतद्द्वारा संलग्न है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सेवा प्रदाताओं के नाम
मुहर

प्रति-II

पावती सं0..................   दिनांक..................

पावती

(सेवा प्रदाता द्वारा जारी किया जाने वाला)

आवेदक टेलीमार्केटर श्री/मैसर्स ....से टेलीमार्केटर के रूप में पंजीकरण हेतु....................के पक्ष में ....पर आहरित.............दिनांक.........................की डिमाण्ड ड्राफ्ट सं0 .... के साथ एक आवेदन पत्र प्राप्त किया। इस पावती को जारी किए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि के लिए अनन्तिम पंजीकरण के रूप में माना जाएगा। आपके आवेदन को प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा और पंजीकरण 1 महीने के भीतर जारी करने के लिए इसे दूरसंचार विभाग को अग्रेषित किया जाएगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता
का हस्ताक्षर
नाम
पदनाम
सेवा प्रदाताओं के नाम
मुहर

टेलीमार्केटर के लिए दिशा-निर्देश

कोई व्यक्ति या विधिक निकाय जो टेलीमार्केटिंग के कार्य में लगा है को स्वयं का पंजीकरण करना तथा निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना अपेक्षित है :-

1. **परिभाषा** (इस भाग में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो) :-

(i) "टेलीमार्केटिंग" - माल, निवेश या सेवाओं संबंधी किसी भी वाणिज्यिक कारोबार के अनुरोध या प्रोत्साहन के उद्देश्य से दूरसंचार सेवाओं के माध्यम से किसी संदेश का पारेषण करना।

(ii) "टेलीमार्केटर" - टेलीमार्केटिंग के कार्य में लगा व्यक्ति/विधिक निकाय।

(iii) "टेलीमार्केटिंग केंद्र - टेलीमार्केटिंग सुविधाओं से युक्त भारत का कोई स्थल, जिसका उपयोग टेलीमार्केटर द्वारा टेलीमार्केटिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता हो।

(iv) "दूरसंचार संसाधन" - लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत दूरसंचार सुविधाएं।

(v) "रिमोट लोकेशन" - एक ऐसा प्वाइंट आफ प्रेजेन्स जहाँ से टेलीमार्केटर टेलीमार्केटिंग से संबंधित नॉन-वॉइस परियात को संकलित तथा संचालित करता हो।

2. **सामान्य :**

(i) टेलीमार्केटर दूरसंचार विभाग या दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी एजेंसी में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(ii) टेलीमार्केटर एक से अधिक पंजीकरण करवा सकता है।

(iii) प्रत्येक टेलीमार्केटिंग केंद्र का पंजीरण पृथक रूप से स्थान-वार होगा।

(iv) 1000 रु0 का प्रक्रिया शुल्क प्रति टेलीमार्केटिंग केंद्र पर देय होगा।

(v) पंजीकरण की वैधता 10 वर्षो के लिए होगी जिसका नवीकरण किया जा सकता है।

(vi) टेलीमार्केटर पहले दी गई सूचना में किसी परिवर्तन के बारे मे दूरसंचार विभाग को 15 दिनों के भीतर सूचित करेगा।

3. टेलीमार्केटर केंद्र के प्रचालन के लिए तकनीकी शर्तें

(i) टेलीमार्केटर केवल लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से ही दूरसंचार संसाधन प्राप्त करेगा।

(ii) टेलीमार्केटर को टेलीमार्केटिंग गतिविधियों के लिए पीएसटीएन कनेक्टिविटी की दोनों ओर (इनकमिंग/आउटगोइंग) से अनुमति है।

(iii) टेलीमार्केटर दूरस्थ स्थान/ग्राहकों/नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्टरी (एनडीएनसी) के लिए नॉन वॉइस अनुप्रयोगों हेतु लीज्ड लाइनों/इंटरनेट/वीपीएन के माध्यम से कनेक्टिविटी प्राप्त कर सकता है।

(iv) टेलीमार्केटर अन्य किसी कार्य के लिए दूरसंचार संसाधनों का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा।

(v) टेलीमार्केटर यह सुनिश्चित करेगा कि एक अहाते में प्रयोग की गई पीएसटीएन लाइनों और प्रयोग किए जा रहे दूरसंचार संसाधन के बीच पूर्ण पृथक्करण बना रहे।

(vi) टेलीमार्केटिंग केंद्रों के बीच अंतर्संयोजन की अनुमति नहीं है।

4. निदेशों/आदेशों का अनुपालन :

टेलीमार्केटर निम्न का अनुपालन करेगा :

(i) टेलीमार्केटर के लिए दिशानिर्देश
(ii) दूरसंचार विभाग द्वारा जारी आदेश/निदेश
(iii) अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी) पर ट्राई द्वारा जारी आदेश/निदेश/विनियमन

5. "पंजीकरण के हस्तांतरण" पर पाबंदी

टेलीमार्केटर दूरसंचार विभाग की बिना किसी पूर्व लिखित सहमति के इस पंजीकरण को किसी भी रूप में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तीसरी पार्टी को न ही सौंपेगा और न ही हस्तांतरित करेगा या उप-पट्टे के लिए कोई करार नहीं करेगा और/या किसी भी तीसरी पार्टी से पंजीकरण की किसी विषय-वस्तु के संबंध में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से साझेदारी नहीं करेगा अर्थात् किसी भी प्रकार के उप-पट्टे/साझेदारी/तीसरी पार्टी हित का सृजन नहीं करेगा।

6. सूचना प्रदान करने की आवश्यकता

टेलीमार्केटर समय-समय पर यथानिर्धारित दस्तावेजों, लेखों, आकलनों, विवरणों, रिपोर्टों और अन्य सूचनाओं को नियमों/आदेशों के अनुसार निर्धारित समयनुसार यथोचित रूप से मांग पर दूरसंचार विभाग को प्रदान करेगा।

7. सुरक्षा शर्तें :

(i) टेलीमार्केटर तकनीकी संवीक्षा और निरीक्षण, जो कि **दृश्य** निरीक्षण या प्रचालनात्मक निरीक्षण हो सकता है के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को मांग पर अपने उपस्करों का पूर्ण अभिगम उपलब्ध करेगा।

(ii) टेलीमार्केटर यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा उपस्कर की संस्थापन से सुरक्षा संबंधी खतरा नहीं होगा तथा इससे किसी कानून, नियम और विनियम और लोक नीति में व्यवधान नहीं आएगा।

(iii) टेलीमार्केटर के लिए यह अपेक्षित होगा कि वह सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जब भी अपेक्षित हो निश्चित समयावधि पर प्रणाली द्वारा संचालित सभी निर्धारित कॉलों में कॉल डाटा रिकार्ड मुहैया करेगा।

(iv) जहाँ कहीं भी उपयुक्त समझा जाए, दूरसंचार विभाग अपने आप से या शिकायत के आधार पर यह जाँच करा सकता है कि टेलीमार्केटर द्वारा पंजीकरण के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में किसी प्रकार का उल्लंघन तो नहीं किया गया है और इस जाँच के आधार पर टेलीमार्केटर बिना किसी विघ्न के सभी तर्कसंगत सुविधाएं देगा।

8. टेलीमार्केटर द्वारा कतिपय कार्यकलापों की मनाही

(i) टेलीमार्केटर इस पंजीकरण के नाम पर टेलीमार्केटिंग के अलावा अन्य सेवा प्रदान नहीं करेगा और/या पृथक लाइसेंस/अनुमति की अपेक्षा नहीं करेगा।

(ii) टेलीमार्केटर देश के संस्थापित कानून के अनुरूप, ऐसी आपत्तिजनक, अश्लील, अनाधिकृत या कोई भी अन्य सामग्री, संदेश या पत्र-व्यवहार, बौद्धिक संपदा आदि जो किसी भी रूप में प्रकाशनाधिकार का उल्लंघन करती हो को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करेगा। एक बार ऐसे किसी उल्लंघन का विशेष उल्लेख यदि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा टेलीमार्केटर को किया जाता है तो टेलीमार्केटर यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सामग्री के प्रवाह को तुरंत रोक दिया जाए।

(iii) टेलीमार्केटर लाइसेंसशुदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा तथा न ही स्विच्ड् टेलीफोनी प्रदान करेगा और न पब्लिक कॉल ऑफिस (पीसीओ) के रूप में दूरसंचार संसाधनों का उपयोग करेगा।

9. पंजीकरण का निलंबन, अभ्यर्पण या समाप्ति

(i) दूरसंचार विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसी भी समय इस पंजीकरण के प्रचालन को समाप्त करने का अधिकार रखता है, यदि, दूरसंचार विभाग की राय में, ऐसा आवश्यक हो या जनहित में या राज्य की सुरक्षा के हित में या टेलीग्राफ के उचित संचालन के लिए ऐसा उचित समझा जाए। यदि स्थिति तर्कसंगत है, तो दूरसंचार विभाग के लिए यह अनिवाय नहीं होगा कि वह इस उद्देश्यार्थ टेलीमार्केटर की टिप्पणियां मांगने हेतु नोटिस जारी करे तथा इस संबंध में दूरसंचार विभाग का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

(ii) टेलीमार्केटर दूरसंचार विभाग को 30 दिन के नोटिस पर पंजीकरण का अभ्यर्पण कर सकता है।

(iii) टेलीमार्केटर के पंजीकरण हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की विफलता पर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

———x———